कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः–2371 / FP/UK/OFC/41939/2019 देहरादूनः दिनांकः 19 मार्च, 2020

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–चमोली में बद्रीनाथ वन प्रमाग के चमोली/नन्दप्रयाग/पश्चिमी पिण्डर रेंज के अन्तर्गत एन0एच0/डी0एम0आर0 नन्दप्रयाग कण्डाई पुल लुनतरा कुरूड़ घाट मेंटी तथा नारायणबगड़ परखाल रेंस चोपता मोटर मार्ग के किनारे (72.80 किमी0) आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु **0.416 है0** वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

(Online proposal no- FP/UK/OFC/41939/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु प्रबन्धक, रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत **0.416** है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि पर अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर एवं वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी संस्तुति/सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग–निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये निर्देशानुसार राज्य सरकार को ओ0एफ0सी0 के प्रकरणों में वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया है, बशर्ते इस हेतु उपयोग में लाये जा रहे वन भूमि का RoW पूर्व में स्वीकृत किया गया हो। इस प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा सूचित किया गया है कि विषयक परियोजना का निर्माण प्रस्तावनुसार पूर्व निर्मित मोटर मार्ग हेतु स्वीकृति RoW के अन्तर्गत ओ0एफ0सी0 मोटर मार्ग के किनारे बिछायी जानी प्रस्तावित है। नन्दप्रयाग से कण्डाई पुल तक की स्वीकृति पूर्व में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक जी0आई0 24/7(1)–2000–600/99 दिनांक 22.12.2000 एवं घाट थराली मोटर मार्ग में घाट से भेंटी तक (किमी0 01 से किमी0 11.250)उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0 जी0आई0 381/14–2–73–628/1991 दिनांक 27.01.1994 थिरपाक काण्डई मोटर मार्ग हेतु भारत सरकार की पत्र सं0 8बी/यूसीपी/06/271/2000/एफसी/1544 दिनांक 18.01.2005 कुरूड माखणी मोटर मार्ग की लम्बाई 4.70 किमी0 हेतु उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या जी0आई0 2425/7–1–2010–600(2775)2009 दिनांक 30.10.2010 एवं नारायणबगड़ परखाल रेंस चोपता मोटर मार्ग की स्वीकृति पूर्व में भारत सरकार के आदेश संख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/85/2004 एफ0सी0/960 दिनांक 25.10.2004 से प्राप्त है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 18/3/20
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या   / FP/UK/OFC/41939/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, जनपद–चमोली।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
7. प्रबन्धक, रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्लाट नं0–32, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद–चमोली में बद्रीनाथ वन प्रभाग के चमोली/नन्दप्रयाग/पश्चिमी पिण्डर रेंज के अन्तर्गत एन0एच0/डी0एम0आर0 नन्दप्रयाग कण्डाई पुल लुनतरा कुरूड़ घाट भेंटी तथा नारायणबगड़ परखाल रेंस चोपता मोटर मार्ग के किनारे (72.80 किमी0) आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.416 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में। (Online proposal no- FP/UK/OFC/41939/2019)

जनपद–चमोली में बद्रीनाथ वन प्रभाग के चमोली/नन्दप्रयाग/पश्चिमी पिण्डर रेंज के अन्तर्गत एन0एच0/डी0एम0आर0 नन्दप्रयाग कण्डाई पुल लुनतरा कुरूड़ घाट भेंटी तथा नारायणबगड़ परखाल रेंस चोपता मोटर मार्ग के किनारे (72.80 किमी0) आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने हेतु 0.416 है0 भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 को अनुमति दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में **0.313** हे0 पंचायत वन भूमि एवं **0.103** हे0 राजस्व भूमि अर्थात कुल 0.416 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–चमोली/प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर एवं वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये दिशा निर्देश के कम में राज्य सरकार इस वन भूमि प्रस्ताव पर अनुमति दिये जाने हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

नाम व पदनामः
हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः

तिथि : 18/03/2020
स्थान : देहरादून